उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–1 प्रारम्भिक	
1.	सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना	2
2.	परिभाषाएं	2–5
	अध्याय–दो प्राधिकरण की स्थापना	
3.	प्राधिकरण की स्थापना	5–6
4.	प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता	6–7
5.	अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता	7–8
6.	चयन समिति का गठन और कृत्य	8–10
7.	अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें	10–11
8.	अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना	11–12
9.	प्राधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों की राज्य सरकार की शक्ति	12–13
10.	प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ	13–14
11.	रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी	14
	अध्याय–तीन प्राधिकरण की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य	
12.	प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य	14–16
13.	प्राधिकरण की सामान्य नीतियाँ	16
14.	प्राधिकरण की शक्तियाँ	16–17
15.	निर्देश जारी करने की शक्ति	17
16.	जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक	17
17.	निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना	18
18.	सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध	18

1	2	3
	अध्याय–चार	
	माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ	
19.	माध्यस्थम	18
20.	अपराध और शास्तियाँ	18–19
21.	उपयोगकर्ता द्वारा अपराध	19
22.	अपराध का प्रशमन	20
23.	अपराध का संज्ञान	20
24.	शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी	20
	अध्याय–पाँच	
	लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट	
25.	राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान	20–21
26.	लेखा और लेखा परीक्षा	21
27.	प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट	21
	अध्याय–छः	
	प्रकीर्ण	
28.	भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि	21
29.	अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू	21
30.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	22
31.	अधिकारिता पर रोक	22
32.	प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होंगी	22
33.	प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा	22
34.	नियम बनाने की शक्ति	22
35.	विनियम बनाने की शक्ति	22–23
36.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	23–24

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY ACT, 2013
[UTTARAKHAND ACT NO. 24 OF 2013]

INDEX

Sections	Detail	Page No.
1	2	3
	CHAPTER - I	
	Preliminary	
1.	Short title, extent commencement and **applicable**	25
2.	Definitions	25–28
	CHAPTER – II	
	Establishment of Authority	
3.	Establishment of Authority	28
4.	Qualification for appointment of Chairperson and other member of Authority	28–30
5.	Disqualification for being the Chairperson or a Member	30
6.	Constitution and function of the selection committee	30–32
7.	Terms of Office and conditions of service of the Chairperson	32–33
8.	Removal of the Chairperson or a member	34
9.	Power of State Government to depute officers and employees to the Authority and their service conditions	34–35
10.	Proceedings of the Authority	35–36
11.	Vacancies etc not to invalidate act or proceeding	36
	CHAPTER – III	
	Powers, Functions and Duties of the Authority	
12.	Powers and function of the Authority	36–38
13.	General Policies of the Authority	38
14.	Power of the Authority	38–39
15.	Powers to issue direction	39
16.	Water supply and overall performance standards	39
17.	Information with respect to levels of performance	39
18.	Restriction on disclosure of information	39–40

1	2	3
	CHAPTER-IV	
	Arbitration, offences and penalties	
19.	Arbitration	40
20.	Offences and penalties	40
21.	Offence by user	41
22.	Compounding of Offences	41
23.	Cognizance of offences	41
24.	Penalties and proceedings not to prejudice other actions	42
	CHAPTER – V	
	Accounts, Audit and Report	
25.	State Government to the Authority	42
26.	Accounts and audit	42
27.	Annual report of the Authority	43
	CHAPTER – VI	
	Miscellaneous	
28.	Amount recoverable as arrears of land revenue	43
29.	Application of fines and Charges	43
30.	Protection of Action of good faith	43
31.	Bar of Jurisdiction	43
32.	Proceeding before the Authority to be judicial proceedings	43
33.	Chairperson, Member and Staff of the Authority to be public servants	44
34.	Power to make rules	44
35.	Power to make regulation	44–45
36.	Power to remove difficulties	45

क्रम संख्या–92 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 170/XXXVI(3)/2013/27(1)/2013

देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक विधेयक, 2013"** पर दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013}

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू–स्वामियों के बाढ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

सक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, उत्तरी भारत नहर और जल–निकास अधिनियम, 1873 और उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होगें।

परिभाषाएं

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "कार्यक्षेत्र" से उत्तराखण्ड के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है, जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों/विभागों/उपभोक्ता समूह को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है, जो बाढ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(ख) **"कछार"** से किसी नदी के इर्द–गिर्द के ऐसे भू–क्षेत्र से है, जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती है;

(ग) **"थोक जल हकदारी"** से किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथा उपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार अभिप्रेत है;

(घ) **"उपयोग की श्रेणी"** से विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबधी प्रयोजन आदि और उसके अन्तर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी है, के लिये जल उपयोग के वर्णीकरण अभिप्रेत है;

(ङ) **"उपकर"** से बाढ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(च) **"अध्यक्ष"** से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) **"प्राधिकरण"** से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ज) **"हकदारी"** से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा किये गये प्राधिकार अभिप्रेत है;

(झ) **"भू–जल"** से ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसे भू–वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भूजल के जलाशय भी है, भूतल के नीचे किसी जलकुंड में विद्यमान रहता हो;

(ञ) **"भू–गर्भ जल हकदारी"** से प्राधिकारी द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञा प्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से भू–गर्भ जल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत/उपभोक्ता समूह थोक जल हकदारी अभिप्रेत है;

(ट) **"व्यक्तिगत जल हकदारी"** से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी प्राधिकार अभिप्रेत है;

(ठ) **"एकीकृत राज्य जल योजना"** से सतही और भूजल दोहन के प्रयोग के लिये प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना अभिप्रेत है;

(ड) "**लाइसेंस**" से प्राधिकरण द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस अभिप्रेत है;

(ढ) "**लाइसेंसधारी**" से ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अन्तर्गत भू-गर्भ जल के दोहन, द्वारा घरेलू उपयोग भी है, भू-गर्भ जल का उपयोग करता हो;

(ण) "**सदस्य**" से प्राधिकरण के किसी सदस्य अभिप्रेत है;

(त) "**अधिसूचित क्षेत्र**" से अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाई/न्याय पंचाचत अभिप्रेत है;

(थ) "**विहित प्राधिकारी**" से जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आंवटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(द) "**परियोजना स्तरीय इकाई**" से किसी जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाईयों के किसी समूह अभिप्रेत है;

(ध) "**कोटा**" से किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा अभिप्रेत है, जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(न) "**विनियम**" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों अभिप्रेत है;

(प) "**चयन समिति**" से अध्याय-दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(फ) "**सीवर व्यवस्था**" से किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उचिछष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने अभिप्रेत है;

(ब) "**राज्य जल नीति**" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नीति अभिप्रेत है;

(भ) "**टैरिफ**" से जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग अभिप्रेत हैं;

(म) **"उपयोगकर्ता"** से किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि अभिप्रेत है, जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;

(कक) "भू–गर्भ जल प्रयोक्ता" से व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिये भू–गर्भ जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी व्यक्ति/व्यक्तियों अभिप्रेत है;

(कख) "जल" से नदियों, में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औधोगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात पुनः चकित जल अर्थात जल संभरण और सीवर–व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल–निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत और भू–जल से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक के अन्तर्गत संगृहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(कग) "जल प्रयोक्ता इकाई" से जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(कघ) "जल उपलब्धता" से किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य है की उपलब्धता अभिप्रेंत है;

(कङ) "जल गुणवत्ता" से ऐसे सुलभ जल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

अध्याय–दो

प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण की स्थापना

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में होगा।

(4) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक संख्या के सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होगें।

(5) अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4. (1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।

(क) अध्यक्षः– अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबधित विभागों का अनुभव रखता हो;

(ख) सदस्यगणः–

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जल स्रोत/संसाधन की पूर्ण जानकारी रखता हो;

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4–क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 25 वर्ष का